न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट।

मुकदमा संख्या- 22 / 2018

सरकार बनाम भइयालाल आदि

धारा-03 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान
निवारण अधिनियम।
अपराध संख्या-350 / 2017
थाना-मऊ।
जिला-चित्रकूट।

आरोप

मैं सुमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट आप अभियुक्तगण भइयालाल, रामदिनेश, रामसुरेश को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि आप लोगों ने दिनांक व समय अदम तहरीर, स्थान-टयूबवेल अभियुक्तगण, तेंदुआ माफी, थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट में बिना बिजली विभाग को सूचित किये 11000 हजार लाइन को नये बोर की जगह अन्यत्र शिफ्ट करने व तार की क्षतिग्रस्त करके सार्वजनिक क्षति कारित की। जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

एतदद्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-10.01.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-10.01.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।